

सख्त कानूनी कार्रवाई या जुर्माना नहीं

By : Editor Published On : 12 Oct, 2020 12:00 PM IST



ठाकरे ने रविवार को डिजिटल प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग जीतने के लिए लोगों की खुले दिल से भागीदारी की जरूरत है। कोविड-19 एक विदेशी मेहमान है जो हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। यह शहरों से ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। महाराष्ट्र में देश के सर्वाधिक 15 लाख से ज्यादा कोरोना केस हैं। राज्य में कोविड-19 के कारण 40 हजार से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 से 80 प्रतिशत कोविड-19 रोगियों में लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। लिहाजा जब तक इसका टीका नहीं बन जाता तब तक मास्क आत्मरक्षा करने वाली ब्लैक बेल्ट की तरह है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई या जुर्माना नहीं लगाने चाहते। महामारी से जंग तभी जीती जा सकती है, जब लोग खुले दिल से इसमें हिस्सा लें।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जनता को ही तय करना होगा कि उन्हें कोरोना की रोकथाम के लिए नियमों का पालन करना है या फिर लॉकडाउन में ही रहना है। उन्होंने राज्य की जनता को कोविड को गंभीरता से लेने की नसीहत दी है। राज्य में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन लागू है। PLC.

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/no-strict-legal-action-or-penalty/>